

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 20/2019 (अपील)

मोतीलाल पुत्र धूलीलाल जाति बंजारा निवासी कसार तहसील
लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक वन मण्डल कोटा

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी
आदेश दिनांक 23.08.2016 मि0नं0
9/2016 न्यायालय सहा0 वन संरक्षक
वन मण्डल कोटा कार्यवाही धारा 91 भू
रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री असलम अंसारी, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट


निर्णय

दिनांक:—17.12.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम कसार की ख0नं0 1369, 1249, 1376, 1642 की रकबा 1.92 हे0 वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डाना के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 9/2016 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 11000/- जुर्माना व 2 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 23.08.2016 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.01.2019 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान कर ग्राम कसार की आराजी खसरा नम्बर 1369, 1249, 1376, 1642, की 1.92 हे0 आराजी से बेदखल करने का तथा अतिक्रमी मानकर 11000/- जुर्माना एवं 2 माह की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं


था जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो इसके उपरान्त भी आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व में उसे बेदखल ही किया गया है । अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य में भी वह उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा । अपीलांट को जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.1.2019 को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट लेकर आने तथा उनके द्वारा बताने पर हुई । उक्त प्रकार जानकारी होने पर उसी दिनांक को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 22.1.2019 को नकल मिलने पर अपील पेश की है । जैर अपील आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 15.1.2019 को होने के कारण आदेश दिनांक 23.8.2016 से जानकारी की दिनांक 15.1.2019 तक के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावें तथा अपील अपीलांट की सजा का आदेश निरस्त किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । रेस्पोजेन्ट अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्त का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, ग्राम कसार की आराजी खसरा नम्बर 1369, 1249, 1376, 1642, की 1.92 हे0 आराजी से बेदखल करने का तथा अतिक्रमी मानकर 11000/- जुर्माना एवं 2 माह की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो इसके उपरान्त भी आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व में उसे बेदखल ही किया गया है । अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य में भी वह उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा ।
5. रेस्पोजेन्ट के विभागीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा ग्राम कसार की वन भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई है जिस पर बेदखली कर जुर्माना व 2 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो मौका स्थिति व रेकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई है जो सही है । अतः अपील तथ्यहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया । न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.08.2016 के विरुद्ध यह अपील दिनांक



24.01 2019 को पेश की गई है जो विलम्ब से पेश है, अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 23.08.2016 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 15.01.2019 को पुलिस के गिरफ्तार करने आने पर होना बताते हुए विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। न्यायहित में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डाना ने रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम कसार स्थित वन भूमि ख0नं0 1369,1249,1376,1642 की 1.92 हे0 भूमि पर मोतीलाल पुत्र धूलीलाल बंजारा निवासी कसार द्वारा अतिक्रमण कर फसल काश्त कर बाड़बन्दी की है इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 11000/- रुपये का जुर्माना तथा वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 2 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।
9. निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा